



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

19/6/89

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24, 1989 (आषाढ़ 3, 1911)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24, 1989 (ASADHA 3, 1911)

(इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ	विषय-सूची	पृष्ठ
493	भाग I—खण्ड 1—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा प्रादेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड—(iii)— भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक प्रादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिस्से में अधिसूचित पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)
619	भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और प्रादेश
65	भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक प्रादेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और संबंधित कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
829	भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	भाग III—खण्ड 2—पेंडेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेंडेन्ट और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस
*	भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	भाग III—खण्ड 3—सूचना आयुक्तों के प्राधिकार के प्रयोग संबंधी प्रादेशों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं
*	भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में अधिसूचित पाठ	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विचारों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, प्रादेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं
*	भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	भाग IV—वीर-सरकारी व्यक्तियों और वीर-सरकारी विचारों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस
*	भाग II—भाग 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के प्रादेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)।	भाग V—संयोगी और हिन्दी दोनों के रूप में मूल के प्रोक्तों को दिखाने वाला अनुपकरण
*	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	493	PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (III)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including By-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authority (other than Administration of Union Territories)	•
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	619	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	65	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	543
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	829	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	593
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	•
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	585
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	•	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	79
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, By-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•		

भाग I--खण्ड 1

[PART I--SECTION I]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1989

सं० 49/प्रेज/89--राष्ट्रपति असाधारण कर्तव्यनिष्ठा या अपूर्व साहस के ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए, जिनका तटरक्षक संगठन के लिए विशेष महत्व है, निम्नलिखित पदक सन्मार्थ प्रारम्भ करते हैं, और इसके निमित्त निम्नलिखित संविधि बनाते हैं, लागू करते हैं और स्थापित करते हैं, जो इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से लागू समझे जाएंगे।

क. राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक

प्रथम--पुरस्कार पदक के रूप में होगा जिसका नाम "राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक" होगा (जिसे इसके बाद पदक कहा जाएगा)।

द्वितीय--पदक तटरक्षक संगठन के कामियों को भारत की सीमा के अन्दर या बाहर उनकी असाधारण कर्तव्यनिष्ठा या अपूर्व साहस के ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा जिनका तटरक्षक संगठन के लिए विशेष महत्व है। तटरक्षक संगठन के सभी रैंक पदक के लिए पात्र होंगे। पदक मरणोपरांत दिया जा सकता है।

तृतीय--पदक गोलाकार होगा, वह चांदी का बना हुआ होगा और उस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ होगा, इसका व्यास 1-3/8" होगा, और पदक पर मध्य में सामने की तरफ तटरक्षक संगठन का चिह्न का डिजाइन उभरा हुआ बना होगा तथा पदक के ऊपरी सिरे पर किनारे-किनारे उभरे हुए शब्दों में "राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक" और नीचे भारत लिखा होगा और इन दोनों के बीच पांच कोनों वाले दो सितारों के चिह्न होंगे। इस पदक के दूसरी तरफ बीचों-बीच राष्ट्रीय चिह्न उभरा हुआ होगा और एक माला इसके ठीक ऊपरी सिरे पर एक सामान्य कड़ी से जुड़ी होगी। उसके रिम पर पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम खुदा होगा।

चतुर्थ--जिस कामिक को पहले ही यह पदक प्रदान किया गया हो उसे बाद के प्रत्येक पदक के लिए शलाका (बार) प्रदान किया जाएगा। पंचम--जिन व्यक्तियों को यह पदक प्रदान किया जाएगा उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे नामों का रजिस्टर, रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रपति द्वारा निविष्ट व्यक्ति रखेगा। ये नाम तटरक्षक आदेशों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।

षष्ठम--प्रत्येक पदक नीचे के बाईं ओर लटकाया जाएगा और 1-3/8" चौड़ा रिबन चांदी-सा सफेद होगा और इसके बीच में गहरी नीली (नेवी-ब्लू) धारी होगी जो इसे तीन बराबर हिस्सों में विभाजित करेगी। जिस रिबन के साथ पदक लटकाया जाना है उसमें एक शलाका (बार) लगाई जाएगी। जब रिबन बिलकुल फट जाएगा तो प्रदान की गई प्रत्येक शलाका (बार) के लिए उस पर सोने का पानी चढ़ा चांदी का बना एक छोटा-सा गुलाब लगा दिया जाएगा।

सप्तम--राष्ट्रपति को किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए पदक को नामंजूर करने और रद्द करने का अधिकार होगा और इसके बाद उक्त व्यक्ति का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। लेकिन, राष्ट्रपति को, जब्त किए गए ऐसे पदक को फिर से बहाल करने का अधिकार भी

होगा और ऐसे मामले में व्यक्ति का नाम रजिस्टर से फिर से बहाल कर दिया जाएगा। पदक रद्द करने और बहाल करने की हर सूचना भारत के राजपत्र और तटरक्षक आदेशों में प्रकाशित की जाएगी।

अष्टम--इस अधिसूचना के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सरकार यथावश्यक अनुबंध बना सकती है।

ख. तटरक्षक पदक

प्रथम--पुरस्कार पदक के रूप में होगा जिसका नाम "तटरक्षक पदक" होगा (जिसे इसके बाद पदक कहा जाएगा)।

द्वितीय--पदक तटरक्षक संगठन के कामियों के भारत के सीमा के अन्दर या बाहर उनकी विशिष्ट कर्तव्यनिष्ठा या ऐसे साहसिक कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा जिनका तटरक्षक के लिए विशेष महत्व होगा। तटरक्षक संगठन के सभी रैंक के कामिक पदक के लिए पात्र होंगे। पदक मरणोपरांत दिया जा सकता है।

तृतीय--पदक गोलाकार होगा जो कांस्य का बना होगा। इसका व्यास 1-3/8" होगा और पदक के बीच में सामने की तरफ तटरक्षक संगठन का चिह्न का डिजाइन उभरा हुआ बना होगा तथा पदक के ऊपरी सिरे पर किनारे-किनारे उभरे हुए शब्दों में "तटरक्षक पदक" और नीचे "भारत" लिखा होगा और इन दोनों के बीच पांच कोनों वाले दो सितारों के चिह्न होंगे। इस पदक की दूसरी तरफ बीचों-बीच राष्ट्रीय चिह्न उभरा हुआ होगा और एक माला इसके ठीक ऊपरी सिरे पर एक सामान्य कड़ी से जुड़ी होगी। उसके रिम पर पदक प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम खुदा होगा।

चतुर्थ--जिस कामिक को पहले ही यह पदक प्रदान किया गया हो उसे बाद के ऐसे प्रत्येक पदक के लिए एक शलाका (बार) प्रदान किया जाएगा।

पंचम--जिन व्यक्तियों को यह पदक या शलाका (बार) प्रदान किया जाएगा उनके नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे नामों का एक रजिस्टर, रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रपति द्वारा निविष्ट व्यक्ति रखेगा। ये नाम तटरक्षक आदेशों में भी प्रकाशित किए जाएंगे।

षष्ठम--प्रत्येक पदक नीचे के बाईं ओर लटकाया जाएगा और 1-3/8" चौड़ा रिबन होगा जिसमें एकतरफ से समान चौड़ाई की चार चांदी सी सफेद और पांच गहरी नीली (नेवी-ब्लू) धारियां होंगी। जिस रिबन के साथ पदक लटकाया जाना है उसमें एक शलाका (बार) लगाई जाएगी। जब रिबन बिलकुल फट जाएगा तो प्रदान की गई प्रत्येक शलाका (बार) के लिए उस पर एक छोटा सा चांदी का गुलाब लगा दिया जाएगा।

सप्तम--राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए पदक को नामंजूर और रद्द कर सकता है और इसके बाद उक्त व्यक्ति का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी अधिकार होगा कि वे जन्त किए गए ऐसे पदक को फिर से बहाल कर सकते हैं और ऐसे मामलों में व्यक्ति का नाम रजिस्टर से फिर से बहाल कर दिया जाएगा। पदक रद्द करने और बहाल करने

की हर सूचना भारत के राजपत्र और तटरक्षक आदेशों में प्रकाशित की जाएगी।

अष्टम—इस अधिसूचना के प्रयोजन को पूरा करने के लिए सरकार यथावश्यक अनुदेश बना सकती है।

सं० 50-प्रेज/89—“राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक” और “तटरक्षक पदक” प्रदान किए जाने संबंधी संविधियों की “आठवीं” संविधि के अनुसार उनके विनियम के लिए निम्नलिखित नियम अधिसूचित किए जाते हैं :—

राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक

1. किसी अवसर पर विशिष्ट वीरता के कार्य के बाद यथाशीघ्र उक्त विशिष्ट वीरता के कार्य के लिए पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में अन्य कार्यों के आधार पर पदक प्रदान करने की सिफारिश तत्काल पुरस्कार देने के लिए किसी भी समय की जा सकती है।

2. सभी सिफारिशों में संबंधित व्यक्ति का नाम तथा रैंक और उसका निजी नम्बर, उस यूनिट का नाम जिसका वह सदस्य है और उस वीरता के कार्य का ब्योरा दिया जाएगा जिसके लिए पदक देने की सिफारिश की गई है।

3. किसी भी वर्ष, विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। लेकिन, किसी भी वर्ष, वीरता के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

4. पदक निम्नलिखित कार्यों के लिए दिए जाएंगे :—

(1) भारत की सीमा के अन्दर या बाहर दिखाए गए असाधारण साहस के ऐसे कार्य के लिए प्रदान किया जाएगा जिनका तटरक्षक संगठन के लिए विशेष महत्व हो।

(2) खराब मौसम या पोटों/नीकाभों या उपकरणों की सीमित कार्य सीमा जैसी परिस्थितियों में तटरक्षक संक्रियाओं के संचालन में सफलता।

(3) भारत के समुद्री क्षेत्रों में तस्करी न होने देने या उस पर नियंत्रण करने, अनधिकृत प्रवेश या रोकने या राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा से संबंधित विशेष कार्य।

(4) लम्बी सेवा अवधि किन्तु केवल सब, जब सेवा के दौरान अति असाधारण योग्यता दिखाई गई हो।

5. यदि पदक वीरता के लिए प्रदान किया गया हो, तो इस पदक के साथ नीचे दी गई दरों और शर्तों के अनुसार भत्ता दिया जाएगा। इस पर होने वाला व्यय तटरक्षक संगठन के बजट से संबंधित शीर्ष के नाम में ढाला जाएगा।

(क) यदि किसी व्यक्ति को जिसे पहले ही वीरता के लिए तटरक्षक पदक प्रदान किया जा चुका हो, बाद में वीरता के किसी अन्य कार्य के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक प्रदान किया जाए तो उसे पहले से मिल रहे भत्ते के साथ-साथ बाद के पदक का पूरा भत्ता दिया जाएगा।

(ख) यह भत्ता उस कार्य की तारीख से मंजूर किया जाएगा जिसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है और जब तक कि यह दुराचरण के कारण अस्त न कर दिया जाए, मृत्युपर्यन्त मिलता रहेगा।

(ग) यदि किसी पदक पाने वाले की मृत्यु तक उसे भत्ता मिल रहा हो तो उसकी मृत्यु के बाद यह भत्ता उसकी पत्नी को उसके जीवनपर्यन्त या उसके पुनर्विवाह के समय तक मिलता रहेगा (इसमें पहली विवाहिता पत्नी को तरजीह दी जाएगी)। मरणोपरांत मिलने वाले पदक या शलाका (बार) की स्थिति में यह उस विधवा की पत्नी को उसके जीवनपर्यन्त या उसके

पुनर्विवाह के समय तक दिया जाएगा (इसमें पहली विवाहिता पत्नी को तरजीह दी जाएगी) और यह भत्ता उस कार्य की तारीख से देय होगा जिसके लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है।

(घ) यदि पुरस्कार किसी अविवाहित को मरणोपरांत दिया जाता है तो भत्ते का भुगतान उसके पिता या माता को दिया जाएगा और यदि मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता कोई विधवा हो तो भत्ते का भुगतान उसके 18 वर्ष से कम आयु के पुत्र या अविवाहित पुत्री, जैसे भी स्थिति हो, किया जाएगा।

(ङ) वीरता के लिए इस पदक के सभी प्राप्तकर्ता, उनका रैंक चाहे जो भी हो ममान दर पर भत्ता पाने के पात्र होंगे। उक्त पदक तथा पदक की शलाका (बार) के भत्ते की दर में रुपये प्रतिशत होंगे।

6. पदकधारी यदि बाद में निष्ठाहीनता का दोषी, कार्यशील या ऐसे आचरण वाला सिद्ध हो जाए जिसकी वजह से राष्ट्रपति के विचार से उसके सेवा-मंगल की बखर्नामी होती है तो पदक जप्त किया जा सकता है।

7. 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए पुरस्कारों की घोषणा किए जाने के लिए सिफारिशों, तटरक्षक मुख्यालय (निदेशक, कार्मिक) के पास हर वर्ष तमना: 15 मिलम्बर और 15 अप्रैल तक अवश्य पहुंचानी चाहिए।

8. किसी अवसर पर विशिष्ट वीरता के कार्य के बाद यथाशीघ्र उक्त विशिष्ट वीरता के कार्य के लिए पदक प्रदान किए जाने की सिफारिश की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में अन्य कार्यों के आधार पर पदक प्रदान करने की सिफारिश तत्काल पुरस्कार देने के लिए किसी भी समय की जा सकती है।

9. सभी सिफारिशों में संबंधित व्यक्ति का नाम तथा रैंक और उसका निजी नम्बर, उस यूनिट का नाम जिसका वह सदस्य है और उस वीरता के कार्य का ब्योरा दिया जाएगा जिसके लिए पदक देने की सिफारिश की गई है।

10. किसी भी वर्ष, सराहनीय सेवा के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या पांच से अधिक नहीं होगी। लेकिन किसी भी वर्ष, वीरता के लिए दिए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी।

11. पदक निम्नलिखित कार्यों के लिए दिए जाएंगे :—

(1) वीरता के विशिष्ट कार्य के लिए। वीरता के लिए पदक, पुरस्कार मंजूर करने के तुरन्त बाद यथासंभव शीघ्र प्रदान किया जाएगा।

(2) लम्बी अवधि की बख्तापूर्ण और सराहनीय सेवा तथा कुशल और निष्ठापूर्ण मूल्यवान सेवा के लिए।

12. यह पदक ऐसे वायुकर्मी दल सदस्यों को भी प्रदान किया जा सकता है जिन्होंने 2 वर्ष या इससे कम की एक ही अवधि में निम्नलिखित न्यूनतम उड़ान घंटे पूरे किए हों :—

मध्यम परास विमान वायुयान -- 800 घंटे
हल्का विमान वायुयान -- 800 घंटे
हेलीकाप्टर -- 500 घंटे

13. (क) वीरता के लिए दिया जाने वाला वीरता पदक तथा उसकी शलाका (बार) वीरता के लिए राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक से संबंधित निर्धारित नियमों के अधीन होगी तथा उस पर साठ रुपये प्रतिमाह की ममान दर से वित्तीय भत्ता सभी विजेताओं को मिलेगा चाहे उनका रैंक कोई भी हो। इस खाते में होने वाला व्यय तटरक्षक बजट से संबंधित शीर्ष के नाम में ढाला जाएगा।

(ख) यदि किसी अधिकारी को जिसे पहले ही वीरता के लिए तटरक्षक पदक या वीरता के लिए वह पदक और उसके साथ भी शलाका (बार) या शलाकाएं (वॉर्म) प्रदान की गई हों वीरता के किसी अन्य कार्य के लिए बाद में तटरक्षक पदक प्रदान किया जाए तो उसे इस पदक का पूरा भत्ता नहीं बल्कि पहले से मिल रहे भत्ते के साथ-साथ बाद के पदक के साथ की शलाका (बार) का भत्ता दिया जाएगा।

14. वीरता के लिए प्रदान किया गया पदक, विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए गए "राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक" के तत्काल बाद लटकवाया जाएगा।

15. "राष्ट्रपति का तटरक्षक पदक" के बाद में प्रदान किए जाने वाला पदक के लिए शलाका (बार) नहीं होगी।

16. पदकधारी यदि बाद में निष्ठाहीनता का दोषी, कार्यभंग या ऐसे आचरण वाला निरूद्ध हो जाए जिसे, राष्ट्रपति के विचार से, उसके सेवा-संगठन की बदनामी होसी है, तो जन्त किया जा सकता है।

17. 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) और 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) के अवसर पर सार्वजनिक सेवा के पुरस्कार दिए जाने के लिए सिफारिशों, रात्रिय, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पास हर वर्ष क्रमशः 15 सितम्बर और 15 अप्रैल तक पहुंचानी चाहिए।

सु० नीलकण्ठन, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

(पी०यू० ब्रांच)

संसदीय सोंध,

मई दिल्ली-110001, दिनांक 26 मई 1989

सं० 41/1-पीयू/89—श्री टी०आर० बालू, सदस्य, राज्य सभा ने 18 मई, 1989 से सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना को भारत के राजपत्र के भाग एक, खण्ड-एक के अगले अंक में प्रकाशित किया जाये।

2. यह भी अनुरोध किया जाता है कि अधिसूचना की पांच प्रतियां इस सचिवालय को भेजी जाएं।

आर०डी० शर्मा, संयुक्त सचिव

पी०ए० सी० ब्रांच

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 मई 1989

सं० 4/1/89/पी ए सी—लोक सभा और राज्य सभा के निम्न-लिखित सदस्यों को लोक लेखा समिति के 1 मई, 1989 से प्रारम्भ

होने वाली अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने हेतु विधिवत चुना गया है:—

लोक सभा के सदस्य

1. श्री पी० कुलनवर्षेयू
2. श्री भन्वुल हसन भामारी
3. श्री सैफुद्दीन चौधरी
4. श्री छीतुभाई गामित
5. श्री एम वाई० धोरपडे
6. श्री मोहम्मद अयूब खां (मुंसानू-राजस्थान)
7. श्री बाई० एम० महाजन
8. श्री विजय कुमार राजू
9. श्री एस० जयपाल रेड्डी
10. श्री प्रताप भानु शर्मा
11. मेजर जनरल आर०एस० स्पेरो
12. श्रीमती ऊषा रानी तोमर
13. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
14. श्री वीर सेन
15. श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश

राज्य सभा के सदस्य

16. श्री पधंतनेनि उपेन्द्र
17. श्री रामेश्वर ठाकुर
18. श्री जगेश देसाई
19. श्री सुरेन्द्र मिह
20. श्री पी० एन० सुकुल
21. श्री वीरेंद्र वर्मा
22. श्री जसवन्त सिंह

2. अध्यक्ष महोदय ने श्री पी० कुलनवर्षेयू को समिति का सभा-पति नियुक्त किया है।

क० क० शर्मा, उप सचिव

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली-110008, दिनांक 18 मई 1989

संकल्प

सं० सी-डैक/आर०ई०जी०/4/88—भारत सरकार के दिनांक 2 जून, 1988 के संकल्प सं० सी-डैक/आर ई जी/4/88 के पैरा 4 के जरिए सी-डैक को 6 मुख्य केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की पांचवीं पीढ़ी की कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना के समन्वय का दायित्व सौंपा गया था। अब यह निर्णय किया गया है कि इसका उत्तरदायित्व इलेक्ट्रॉनिकी विभाग पर होगा। किन्तु ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली परियोजना का सातवां मुख्य केन्द्र सी-डैक में कार्य करेगा ताकि ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली के विकास की दिशा में सी-डैक कारगर ढंग से कार्य कर सके।

सी-डैक के गठन से संबंधित मूल संकल्प के पैराग्राफ 4 (ऊपर लिखित) को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा सभी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित की जाए।

एस० रवि, संयुक्त सचिव,

प्रौद्योगिक विकास विभाग

(तकनीकी विकास महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1989

संकल्प

सं० धार सी/9(16)/89/203—भारत सरकार ने संकल्प सं० आर सी-9(16)/87 दिनांक 26 मार्च, 1987 द्वारा टायगों एवं ट्यूबों को छोड़कर रबर के सामान के विनिर्माण उद्योग के लिए एक विकास नामिका बनाने का निर्णय किया था नामिका दो वर्षों की अवधि के लिए बनाई गई थी जो कि अब 25 मार्च, 1989 को समाप्त हो रही है। अब सरकार ने नामिका की अवधि को 26 मार्च, 1989 से अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

नामिका का गठन तथा अन्य शर्तें वही रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

सदन मोहन, निदेशक (प्रशासन)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-11016, दिनांक 24 मई 1989

संकल्प

सं० ई-11018/1/88-हिन्दी—इस विभाग के 23 मार्च, 1989 के समसंख्यक संकल्प के अनुसरण से निम्नलिखित व्यक्तियों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महाभाग विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है:

- डा० प्रभाकर माचवे,
संपादक,
बीषा संसार,
इन्दौर, (म०प्र०)
- डा० एस० कृष्णदास चन्द्रन,
एलियास डा० कटाविल चन्द्रन,
39 अशोका, स्पेन्सर जंक्शन,
त्रिवेन्द्रम-34 (केरल)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

धर्मवीर सहगल, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 1989

संकल्प

सं० एक्स-19020/1/89-डी एम एम० एड० पी० एफ० ए०—संकल्प सं० एक्स 19014/2/83-डी एम० एम० एड० पी० एफ० ए० दिनांक 18-1-1984 के तहत गठित भारतीय फार्माकोपिया समिति की अवधि को दो वर्षों और बढ़ाकर 18-1-1991 तक किया जाता है।

समिति की अन्य निर्बंधन और शर्तें इसी प्रकार रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली और भारतीय फार्माकोपिया समिति के सभी सदस्यों (सूची संलग्न है) को भेजी जाए।

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशन हेतु प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद को संकल्प की एक प्रति भेजी जाए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी विभागों को प्रतिलिपि।

मजबूरी रजिस्टर के लिए एक प्रतिलिपि।

अनिदिता किशोर, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 1989

अधिसूचना (17)

सं० एफ 18-33/83-टी० 12/टी० 7(भाग)/टी० 13—शैक्षिक ग्रंथता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद द्वारा ग्रामीण प्रौद्योगिकी, विकास तथा प्रबन्ध में 2 वर्षीय उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम को केन्द्रीय सरकार के उपयुक्त क्षेत्रों के वरिष्ठ पदों तथा सेवाओं में भर्ती के लिए अस्थायी रूप से मान्यता देने का निर्णय लिया है। यह मान्यता केवल उन्हीं छात्रों के लिए अर्थ होगी जो वर्ष 1990 तक यह डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे।

अधिसूचना (18)

सं० एफ० 1-51/88-टी० 13—शैक्षिक ग्रंथता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने आई०एन०एस० शिवाजी द्वारा भारतीय जल सेना के इंजिनरिंग "मैकेनिकल" पाठ्यक्रम से पास की किसी मान्यता प्राप्त भारतीय पालिटैकनिक में मैकेनिकल इंजीनियरी में डिप्लोमा को केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में रोजगार के लिए समतुल्य मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह मान्यता अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

अधिसूचना (20)

सं० एफ 1-25/88-टी० 13—शैक्षिक ग्रंथता मूल्यांकन बोर्ड की सिफारिशों पर भारत सरकार ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, ईटानगर द्वारा प्रदत्त क्षेत्रीय निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को केन्द्रीय सरकार के उन अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में रोजगार के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है। जहां निम्नलिखित विषयों से से एक में प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम निर्धारित ग्रंथता है:—

क. प्रौद्योगिकी शिक्षा:

- संगणक प्रयोज्यता
- निर्माण प्रौद्योगिकी
- रख-रखाव इंजीनियरी (इलेक्ट्रीकल)
- रख-रखाव इंजीनियरी (मैकेनिकल)

ख. प्रायोगिक विज्ञान शिक्षा:

- बागवानी तथा पौध पालन
- वनविद्या विज्ञान

अधिसूचना (21)

सं० एफ 1-18/87-टी० 7/टी० 13—शैक्षिक ग्रंथता मूल्यांकन बोर्ड अध्यक्ष के अनुमोदन पर भारत सरकार ने बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, कलकत्ता में आयोजित राज्य इंजीनियरी तथा तकनीकी शिक्षा परिषद, पश्चिम बंगाल द्वारा प्रदान किए जाने वाले "स्ट्रक्चरल फ़ैब्रीकेशन इंजीनियरी" में डिप्लोमा को प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने की तारीख से केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अधीनस्थ पदों तथा सेवाओं में रोजगार के लिए मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

सुन्दर सिंह, उप शिक्षा सलाहकार (टी)

जल संसाधन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक मई 1989

संकल्प

सं० 11/2/86-परि-III/परि-II-भूतपूर्व कृषि और सिंचाई मंत्रालय (सिंचाई विभाग) के 30 जनवरी, 1976 के संकल्प सं० 8/17/74-डी० डब्ल्यू०-II द्वारा गठित तथा 8/17/74-डी० डब्ल्यू०-II तारीख 18 नवम्बर, 1976 द्वारा संशोधित आणसागर केन्द्रीय गंडल के गठन में निम्नलिखित को जोड़ा जाता है।

आणसागर नियंत्रण बोर्ड (पैरा 3)

XIII केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री सदस्य”

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों, राष्ट्रपति जी के निजी और सैनिक सचिवालयों, प्रशासनिक सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से इसे ग्राम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करने का अनुरोध किया जाए।

डा० जे० पी० सिंह, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 7th June 1989

No. 49-Pres./89.—The President is pleased to institute the following awards with a view to recognising such individual acts of exceptional devotion to duty or courage as have special significance for the Coast Guard and, in this behalf, to make, ordain and establish the following statutes which shall be deemed to have effect from the date of this notification—

A. PRESIDENT'S TATRAKSHAK MEDAL/PRESIDENT COAST GUARD MEDAL

Firstly : The award shall be in the form of a medal designated as the PRESIDENT'S TATRAKSHAK MEDAL/PRESIDENT COAST GUARD MEDAL (hereinafter referred to as the medal).

Secondly : The medal shall be awarded to personnel of the Coast Guard for such individual acts of exceptional devotion to duty or courage performed within or without the territory of INDIA as have special significance for the Coast Guard. All ranks of the Coast Guard shall be eligible for the medal. Awards may be made posthumously.

Thirdly : The medal shall be circular in shape, made of silver with gold gilt, one and three-eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of the Coast Guard Crest in the centre and words "President's Coast Guard Medal" above and "India" below, along the edge of the medal separated by two five pointed heraldic stars. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and a wreath joined by a plain clasp at the top along the upper edge. On the rim the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed.

Fourthly : A bar shall be given for every subsequent award of the medal to a person.

Fifthly : The names of those to whom this medal may be awarded shall be published in the Gazette of India and a Register of such names may be kept in the Ministry of Defence by such person as the President may direct. The names shall also be published in the Coast Guard Orders.

Sixthly : Each medal shall be suspended from the left breast and the riband, of an inch and three-eighth in width, shall be Silver White with Navy Blue Band in the middle dividing it in three equal parts. The Bar shall be attached to the riband by which the medal is suspended. When the riband is worn alone, a small silver rose with gold gilt shall be attached thereto for every bar which is awarded.

Seventhly : The President may cancel and annual the award to any person and thereupon his name shall be deleted in the Register. The President may, however, also restore any medal which may have been so forfeited in which case the name of the individual shall be reinstated in the Register. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India and Coast Guard Orders.

Eighthly : The Government may frame such instruction as may be necessary to carry out the purpose of this Notification.

B. TATRAKSHAK MEDAL/COAST GUARD MEDAL

Firstly : The award shall be in the form of a medal designated as the TATRAKSHAK MEDAL/COAST GUARD MEDAL (hereinafter referred to as the medal).

Secondly : The medal shall be awarded to the personnel of the Coast Guard for such individual acts of conspicuous devotion to duty or courage performed within or without the territory of INDIA as have special significance for the Coast Guard. All ranks of the Coast Guard shall be eligible for the medals. Awards may be made posthumously.

Thirdly : The medal shall be circular in shape made of Bronze, one and three-eighth inches in diameter, and shall have embossed on the obverse the design of the Coast Guard Crest in the centre and the words "Coast Guard Medal" above and "India" below, along the edge of the medal separated by two five pointed heraldic stars. On the reverse, it shall have embossed the State Emblem in the centre and a wreath joined by a plain clasp at the top along with upper edge. On the rim the name of the person to whom the medal has been awarded, shall be inscribed.

Fourthly : A bar shall be given for every subsequent award of the medal to a person.

Fifthly : The names of those persons to whom this medal or the bar may be awarded shall be published in the Gazette of India and a Register of such names may be kept in the Ministry of Defence by such persons as the President may direct. The names shall be also published in the Coast Guard Orders.

Sixthly : Each medal shall be suspended from the left breast and the riband of an inch and three-eighth in width shall be four Silver White and five Navy Blue alternate strips of each width. The bar shall be attached to the riband by which the medal is suspended. When the riband is worn alone, a small silver rose shall be attached thereto for every bar which is awarded.

Seventhly : The President may cancel or annual the award to any person and thereupon his name shall be deleted in the Register. The President may, however, also restore any medal which may have been so forfeited in which case the name of the individual shall be reinstated in the Register. Notice of cancellation or restoration in every case shall be published in the Gazette of India and Coast Guard Orders.

Eighthly : The Government may frame such instructions as may be necessary to carry out the purpose of this Notification.

No. 50-Pres./89.—In accordance with the Statute "eighthly" of the Statutes relating to the award of the President's Tatrakshak Medal and the Tatrakshak Medal, the following rules governing them are notified :—

President's Tatrakshak Medal

1. Recommendations for awards on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion on which the conspicuous gallantry was shown and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

2. All recommendations shall state the name and rank and personal number of the person recommended, the name of the unit of which he is a member and particulars of the gallantry service for which grant of medal is recommended.

3. The number of medals awarded for distinguished service in any one year shall not exceed Two. There shall be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year.

4. The medal shall be awarded :—

- (i) For such individual acts of exceptional courage performed within or without the territory of INDIA which have special significance for the Coast Guard.
- (ii) Success in the conduct of Coast Guard operations under difficult conditions such as weather or limitations of ships/boats or equipments.
- (iii) Special service as in prevention or checking of smuggling, poaching or safeguarding of national interests in the Maritime Zones of India.
- (iv) Prolonged service but only when distinguished by very exceptional ability and merit.

5. When awarded for gallantry, the medal shall carry a monetary allowance at the rates and subject to the conditions set forth below. The expenditure incurred on this account shall be debitable to the relevant heads of Coast Guard Budget.

- (a) Where an individual has already been awarded the Tatrakshak Medal for gallantry and is subsequently awarded the Presidents Tatrakshak Medal for a further act of gallantry he shall be paid a monetary allowance attached to the latter medal in addition to the original allowance.
- (b) The allowance shall be granted from the date of the act for which the award is given, and unless it is forfeited for misconduct, shall continue until death.
- (c) Where a recipient is in receipt of the allowance at the time of his death, it shall be continued for life or till re-marriage of his widow (the first married wife having the preference). In the case of a posthumous award of the Medal or a Bar the allowance shall be paid, from the date of the act for which the award is made, to the widow (the first married wife having the preference) for her life or till re-marriage.
- (d) When the award is made posthumously to a bachelor the monetary allowance shall be paid to his father or mother and in case the posthumous awardee is a widower, the allowance shall be paid to his son below 18 years or unmarried daughter as the case may be.
- (e) All the recipients of this gallantry award shall be entitled to the monetary allowance on a uniform rate, irrespective of their ranks. The rate of monetary allowance for the Medal as also for the bar to the Medal shall be Rupees One Hundred per mensem.

6. The medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President, brings the Service into disrepute.

7. Recommendations for the announcement of awards for distinguished service on the 26th January (Republic day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach Coast Guard Headquarters (Director Personnel) not later than preceding 15th September and 15th April respectively every year.

Tatrakshak Medal

8. Recommendations for awards on the ground of conspicuous gallantry shall be made as soon as possible after the occasion on which the conspicuous gallantry was shown, and in special circumstances recommendations for awards on other grounds may be made at any time for an immediate award.

9. Each recommendation shall state the name and rank and personal number of the person recommended, the name of the unit of which he is a member and particulars of the gallantry or service for which the grant of Medal is recommended.

10. The number of medals awarded for meritorious Service in any one year shall not exceed Five. There shall be no limit to the number of medals awarded for gallantry.

11. The medal shall be awarded :—

- (i) For conspicuous acts of gallantry. Awards for gallantry will be made as soon as possible after the event occasioning the grant.
- (ii) For valuable service characterised by resourcefulness and devotion to duty including prolonged service of ability and merit.

12. The medal may also be awarded to Air crew who have completed within a single tenure of 2 years or less the following minimum flying hours:—

Medium range surveillance aircraft—800 hrs

Light surveillance aircraft—800 hrs

Helicopters—500 hrs

13. (a) When awarded for gallantry the Medal as also the Bar to the Medal shall, subject to the conditions set forth for the President's Coast Guard Medal for gallantry, carry a monetary allowance on a uniform rate of Rupees Sixty per mensem, irrespective of the rank of the recipient. The expenditure incurred on this account shall be debitable to the relevant heads of Cost Guard Budget.

(b) Where an officer who has already been awarded either the Tatrakshak Medal or that Medal and a Bar or Bars thereto for gallantry is subsequently awarded the Tatrakshak Medal for a further act of gallantry, he shall be paid a monetary allowance attached to the Bar to the latter Medal in addition to the original allowance and not the full allowance attached to the Medal itself.

14. The Medal for gallantry shall be worn next to and immediately after the President's Tatrakshak Medal for distinguished service.

15. The award of the Medal will not be a bar to the subsequent award of the President's Tatrakshak Medal.

16. The Medal is liable to be forfeited when the holder is guilty of disloyalty, cowardice in action or such conduct as in the opinion of the President brings the force into disrepute.

17. Recommendations for the announcement of awards for meritorious service on the 26th January (Republic Day) and the 15th August (Independence Day) should be forwarded so as to reach the Secretary to the Government of India, Ministry of Defence, not later than the preceding 15th September and 15th April respectively each year.

S. NILAKANTAN
Director

LOK SABHA SECRETARIAT

(P.U. BRANCH)

New Delhi-110 001, the 26th May 1989

No. 4/1-PU/89.—Shri T. R. Balu, member, Rajya Sabha has resigned from the membership of the Committee on Public Undertakings with effect from 18th May, 1989.

Forwarded to the Manager, Government of India Press, Faridabad with the request that the above Notification may kindly be published in the next issue of the Gazette of India, Part I, Section I.

2. It is also requested that five spare copies of the Notification may kindly be furnished to this Secretariat.

R. D. SHARMA, Jt. Secy.

New Delhi-110001, the 15th May 1989

No. 4/1/89/PAC.—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as Members of the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May, 1989 :—

Members of Lok Sabha

1. Shri P. Kolandaivelu.
2. Shri Abdul Hannan Ansari.
3. Shri Saifuddin Chowdhary.
4. Shri Chhitubhai Gamit.
5. Shri M. Y. Ghorpade.
6. Shri Mohd. Ayub Khan (Jhunjhunu—Rajasthan).
7. Shri Y. S. Mahajan.
8. Shri Bh. Vijaykumar Raju.
9. Shri S. Jaipal Reddy.
10. Shri Pratap Bhanu Sharma.
11. Maj. Gen. R. S. Sparrow.
12. Shrimati Usha Rani Tomar.
13. Dr. Chandra Shekhar Tripathi.
14. Shri Vir Sen.
15. Shri Yogeshwar Prasad Yogesh.

Members of Rajya Sabha

16. Shri Parvathaneni Upendra.
17. Shri Rameshwar Thakur.
18. Shri Jagesh Desai.
19. Shri Surender Singh.
20. Shri P. N. Sukul.
21. Shri Virendra Verma.
22. Shri Jaswant Singh.

2. The Speaker has been pleased to appoint Shri P. Kolandaivelu as Chairman of the Committee.

K. K. SHARMA, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi-110 003, the 18th May 1989

RESOLUTION

No. C-DAC/REG/4/88.—Vide para 4 of the Government of India resolution No. C-DAC/REG/4/88 dated June 2, 1988, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) was assigned the responsibility for coordination of the Fifth Generation Computer System (FGCS) project of DOE with 6 nodal centres. It has now been decided that this responsibility will be with the Department of Electronics. However, the 7th nodal centre for the FGCS project will function from C-DAC, in order that C-DAC could fruitfully interact in the development of the FGCS Project.

Para 4 of the original resolution—setting up of C-DAC (quoted above) will stand amended to this extent.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all others concerned

S. RAVI, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
(DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL
DEVELOPMENT)

New Delhi, the April 1989

RESOLUTION

No. RC/9(16)/89.—Govt. of India vide resolution No. RC/9(16)/87 dated 26th March, 1987 had decided to form the Development Panel for rubber goods manufacturing industry other than tyres and tubes. The panel was formed for a period of 2 years which is since expiring on 25th March, 1989. It has now been decided by the Govt. to extend

the tenure of the Panel for another period of 2 years, from 26th March, 1989.

The composition of the panel and the terms of the reference will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned, Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADAN MOHAN, Director (Adm.)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 24th May 1989

RESOLUTION

No. E-11018/1/88-Hindi.—In continuation of this Department's resolution of even number dated 23rd March, 1989, the following persons are nominated as members of Joint Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Science and Technology and Department of Ocean Development:—

1. Dr. Prabhakar Machve,
Editor,
Chautha Sansar,
Indore (M.P.).
2. Dr. S. Chrishudas Chandran,
alias Dr. Katavil Chandran,
39, Ashoka, Spencer Jn.,
Trivandrum—34
(Kerala).

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. B. SEHGAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th May 1989

RESOLUTION

No. X-19020/1/89-DMS&PFA.—The term of the Indian Pharmacopoeia Committee constituted vide resolution No. X-19014/2/83-DMS&PFA dated 18-1-1984 is extended for a further period of 2 years i.e. upto 18-1-1991.

The other terms and conditions of the Committee will remain the same.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be sent to all the Ministries/Departments of the Govt. of India, Directorate General of Health Services, New Delhi and all the Members of the Indian Pharmacopoeia Committee.

Copy to all the Section in the Ministry of Health and Family Welfare.

Copy for sanction register.

SMT. A. KISHORE, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 23rd May 1989

Notification (17)

No. F.1-18-33/83 T. 12/T.7(Pt.)/T. 13.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise provisionally the 2 yr. Advanced Diploma Course in Rural Technology, Development & Management offered by the Institute of Engineering and Rural Technology, Allahabad for the purpose of recruitment to superior posts and services under the Central Government in the appropriate field. This recognition will be valid to those students who have obtained this Diploma till the year, 1990.

NOTIFICATION (18)

No. F. 1-51/88/T-13.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Govt. of India has been pleased to recognise a pass in the Engine Room "Mechanician" course of the Indian Navy conducted by INS Shivaji at par with a Diploma in Mechanical Engineering, from a recognised Indian Polytechnic for the purpose of employment to subordinate posts and services under the Central Government in the appropriate field. The recognition will be effective from the date of notification.

NOTIFICATION (20)

No. F. 1-25/88 T.13.—On the recommendations of the Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the following courses offered by North Eastern Regional Institute of Science and Technology, Itanagar for the purposes of employment to subordinate posts and services under the Central Government where a Certificate Course in one of these disciplines is a prescribed qualification :—

A. *Technology Stream*

- (i) Computer Application.
- (ii) Construction Technologies.
- (iii) Maintenance Engineering (Electrical).
- (iv) Maintenance Engineering (Electronics).
- (v) Maintenance Engineering (Mechanical).

B. *Applied Science Stream*

- (i) Horticulture & Plantation.
- (ii) Forestry Science.

NOTIFICATION (21)

No. F. 1-18/87/T.7/T.13.—On the approval of the Chairman, Board of Assessment for Educational Qualifications, the Government of India has been pleased to recognise the Diploma in Structural Fabrication Engineering awarded by the State Council for Engineering & Technical Education, West Bengal being conducted at the Birla Institute of Technology, Calcutta for the purpose of employment to sub-ordinate posts and services under the Central Government from the date of passing out of the first batch.

SUNDAR SINGH, Dy. Educational Adviser (T).

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the May 1989

RESOLUTION

No. 11/2/86-P.III/P-II.—The following addition is made in the composition of the Bansagar Control Board constituted vide erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Irrigation) Resolution No. 8/17/74-DW.II dated the 30th January, 1976 and amended vide 8/17/74-DW.II dated 18th November, 1976.

"Bansagar Control Board (Para 3)

- | | |
|--|---------|
| (xiii) The Union Minister of State for | Member" |
| Water Resources. | |

ORDER

Ordered that this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territories, the Private and Military Secretaries to the President, Prime Minister's Secretariat, the Comptroller and Auditor General of India, the Planning Commission and all Ministries/Departments of the Central Government for information.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

DR. J. P. SINGH, Addl. Secy.